न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ (जिला श्रीगंगानगर)

पीठासीन अधिकारी :– दीनानाथ बब्बल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या –43 / 2025 दायर दिनांक 02.04.2025 GCMS CASE NO-2025/40

पेमाराम पुत्र उत्तमाराम जाति मेघवाल साकिन 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

––निगरानीकर्ता

वनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत मसानीवाला (13 एसएडी) तहसील श्रीविजयनगर
2. सुभाषचन्द्र पुत्र उत्तमाराम जाति मेघवाल साकिन 7 एलसी तहसील श्रीविजयनगर

––गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायीराज अधिनियम 1994

उपस्थित–

1. श्री सुरेन्द्र सुथार, अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री भगवानदत्त शर्मा एवं रामस्वरूप बारूपाल, अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1
3. श्री सुभाषचन्द्र (स्वयं हाजिर), गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2

–::निर्णय::– दिनांक : 08.05.2026

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकर्ता पेमाराम द्वारा इस न्यायालय में एक निगरानी संख्या 01/1999 पेमाराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मसानीवाला व सुभाषचन्द्र पेश की गई। उक्त निगरानी में ग्राम पंचायत मसानीवाला द्वारा चक 7 एलसी में दिनांक 25.08.1963 को मखनलाल को आवंटित प्लॉट संख्या 5–क तथा दिनांक 25.08.1963 को चुनीदेवी को आवंटित प्लॉट 5–ख एवं दिनांक 01.10.1964 को दयाराम को आवंटित प्लॉट संख्या 6 को निरस्त करने का निवेदन किया गया। उक्त तीनो प्लॉट में से सुभाषचन्द्र द्वारा दिनांक 10.02.1992 को प्लॉट संख्या 5–ख एवं दिनांक 01.01.1964 को प्लॉट संख्या 6 खरीद किया गया। न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 17.05.1999 को निगरानी स्वीकार करते हुए ग्राम पंचायत का आवंटन आदेश दिनांक 25.08.1963(जिसके द्वारा भूखण्ड संख्या 5–क एवं 5–ख आवंटित किया गया), एवं आवंटन आदेश दिनांक 01.01.1964 (जिसके द्वारा 6–क आवंटित किया गया था), को खारिज कर दिया गया तथा अप्रार्थी 2 सुभाषचन्द्र से कब्जा वापिस लिये जाने के आदेश दिये गये। इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 17.5.1999 को निरस्त करने हेतु सुभाष चन्द्र द्वारा नजरसानी संख्या 11/1999 अनवान सुभाष चन्द्र बनाम सरंपच ग्राम पंचायत मसानीवाला व पेमाराम इस न्यायालय में दायर की गई, जिसे इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2000 को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 17.05.1999 यथावत रखा गया। तत्पश्चात इस न्यायालय के दोनो निर्णय दिनांक 17.05.1999 व दिनांक 31.08.2000 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की सिगंल बैंच में धारा 18 के तहत एक अपील रिट याचिका संख्या 4728/2000 पेश की गई जो दिनांक 18.01.2001 को निरस्त कर दी गई। माननीय सिंगल बैंच के उक्त निर्णय के [illegible] सुभाषचन्द्र द्वारा माननीय डबल बैंच में स्पेशल अपील रिट याचिका संख्या 204/2001 अन[illegible] सुभा[illegible] बनाम स्टेट व सरपंच मसानीवाला आदि पेश की गई जिसमें माननीय [illegible] दिनांक [illegible] को निर्णय पारित करते हुए मा0 सिंगल बैंच के निर्णय दिनांक 18.01.2001 व इस न्यायाल[illegible] दोनो निर्णय यथा दिनांक 17.05.1999 व निर्णय 31.08.2000 निरस्त करते हुए विचाराधीन भूमि का उपयोग डिग्गी/जोहड [illegible]ों के लिए मानते हुए पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पुनरीक्षण या[illegible] के निपटारे तक विचार[illegible] के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश पक्षकारों को देते हुए प्रकरण इस न्यायालय को राजस्व

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

अभिलेख और अपीलकर्ता तथा तीसरे प्रतिवादी द्वारा अभिलेख में रखे गए साक्ष्यों पर उचित विचार करते हुए पुनः छः माह में निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26.05.2016 की पालना में प्रकरण दर्ज कर उभय पक्ष को सुनवाई हेतु तलब किया गया। निगरानीकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र सुथार हाजिर आये। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री भगवानदत्त शर्मा व रामस्वरूप वारूपाल उपस्थित आये तथा गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 स्वयं उपस्थित हुए। ग्राम पंचायत का मूल अभिलेख मंगवाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा जारी तीनों पट्‌टे जोहड की भूमि पर जारी किये है, जिसके संबंध में पूर्व में भी इस न्यायालय के समक्ष मुझ निगरानीकर्ता पेमाराम द्वारा निगरानी संख्या 01/1991 व अनवान पेमाराम बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मसानीवाला व सुभाषचन्द्र पेश की गई थी। उक्त निगरानी में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.05.1991 को निर्णय पारित करते हुए उक्त तीनो पट्‌टो को खारिज करते हुए पानी व्यवस्था सुचारू रूप से करने हेतु तहसीलदार राजस्व श्रीविजयनगर को आदेशित किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 17.05.1991 के विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 सुभाष चन्द्र द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर की सिंगल बैंच में रिट याचिका संख्या 4728/2000 पेश की गई जो दिनांक 18.01.2001 को निरस्त कर दी गई। माननीय सिंगल बैंच के निर्णय के विरूद्ध सुभाषचन्द्र द्वारा माननीय डबल बैंच में स्पेशल अपील रिट याचिका संख्या 204/2001 अनवान सुभाषचन्द्र बनाम स्टेट, सरपंच मसानीवाला व पेमाराम पेश की गई जिसमें माननीय डबल बैंच ने दिनांक 26.05.2016 को यह निर्णय पारित किया कि पट्‌टो के संबंध में राशि जमा होने संबंधी तथ्य का निस्तारण करते हुए सक्षम न्यायालय निर्णय पारित करे। माननीय डबल बैंच द्वारा प्रकरण पुनः सुनवाई कर नया निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। उक्त आदेश की पालना में हस्तगत प्रकरण इस न्यायालय में दर्ज हुआ। हस्तगत प्रकरण में आज तक सुभाषचन्द्र द्वारा ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेजात पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित हो कि जैर निगरानी पट्‌टो की राशि जमा हुई है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ने अपनी अपने लिखित बहस में यह कथन किया कि जैर निगरानी भूखण्डों का उप-पंजीयक श्रीविजयनगर द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है, जबकि उप पंजीयक को मात्र दस्तावेजात पंजीयन करने का अधिकार है, वह मौका निरीक्षण नहीं कर सकता। प्रकरण में इस न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा मौका निरीक्षण किया गया जिससे पाया कि उक्त तीनो पट्‌टे जोहड की भूमि पर काटे गये है। मौका पर जोहड का निर्माण है। उक्त भूमि का उपयोग पशुओ के पानी पीने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.5.1999 विधिसम्मत है जिसे यथावत रखते रखा जावे।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि चक 5 एलसी के प्लॉट संख्या 5–क, 5–ख व 6 ग्राम पंचायत द्वारा बिना जांच किये ही आवंटित किये गये है। प्लॉट संख्या 5–क में मौके पर पक्की डिग्गी बनी हुई है तथा प्लॉट संख्या 5–ख एवं 6 पर जोहड बना हुआ है, जो कि ग्राम पंचायत मसानीवाला द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति अनूपगढ़ को भेजी गई रिपोर्ट क्रमांक 111 दिनांक 19.01.2000 एवं इसके संलग्न प्रेषित किये गये नक्शे से साबित है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 सुभाषचन्द्र ने जोहड की भूमि पर लकडी एवं मिट्‌टी आदि डाल रखी है, जो ग्राम पंचायत मसानीवाला द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर को भेजी गई रिपोर्ट क्रमांक 055/3 एसएडी दिनांक 18.12.1998 से साबित है। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर के पत्रांक राजस्व/99/6 दिनांक 21.01.199 द्वारा न्यायालय हाजा को प्रेषित की गई रिपोर्ट में भी प्लॉट संख्या 5–ख तथा 6–क में जोहडा बताया गया है एवं सुभाषचन्द्र द्वारा लकडी एवं मिट्‌टी डाले जाने की रिपोर्ट की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी अपने रिमाण्ड़ आदेश में यह निर्देशित किया है कि राजस्व विभाग के अधिकारी पुनः जांच कर निर्णय पारित करे, जिसकी पालना में हस्तगत पत्रावली जैरकार है। चूंकि मै [illegible] सरपंच हूँ, जो कि स्वयं उक्त आवंटन एवं पट्‌टो को निरस्त करने हेतु निवेदन क[illegible] निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है तो मुझ गैरनिगरान[illegible] है।

गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 [illegible] तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, [illegible]र की खंडपीठ ने अपने निर्णय दिनांक 08.06.2016 द्वारा इस न्यायालय की निगरानी संख्या 1/1999 में पारित आदेश दिनांक 17.05.1999,

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

इस न्यायालय की नजरसानी संख्या 11/1999 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2000 एवं माननीय राज० उच्च न्यायालय की एकलपीठ के निर्णय दिनांक 18.01.2001 को अपास्त कर प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड कर प्रकरण को 6 माह में निस्तारित करने हेतु आदेशित किया था। इससे यह स्वतः स्पष्ट है कि पूर्व में पारित आदेश विधि सम्मत नहीं थे। इस न्यायालय में प्रस्तुत नजरसानी संख्या 11/1999 अनवान सुभाषचन्द्र बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मसानीवाला व पेमाराम में यह निवेदन किया था कि दो अलग-अलग आवंटनों को निरस्त करने के लिए दो अलग-अलग निगरानी प्रस्तुत करना आवश्यक था। लेकिन निगरानीकर्ता ने एक ही निगरानी में दोनों आवंटन दिनांक क्रमशः 01.09.1963 व 01.01.1964 को निरस्त करने का अनुतोष चाहा था। इसी प्रकार हस्तगत निगरानी याचिका भी पोषणीय नहीं है, क्योंकि निगरानीकर्ता किसी भी प्रकार से हितबद्ध व्यक्ति या व्यथित पक्षकार की परिभाषा में नहीं आता है। प्रश्नगत भूखण्डों के आवंटन एवं तत्पश्चात हुए बैयनामों से निगरानीकर्ता का कोई व्यक्तिगत हित या विधिक अधिकार प्रभावित नहीं हुआ है। प्रार्थी का कोई विधिक स्वत्व नहीं है। निगरानीकर्ता का एकमात्र उद्देश्य मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 को अनुचित रूप से परेशान करना, उसे कानूनी कार्यवाही में उलझाना तथा उससे अवैध लाभ प्राप्त करना है। ग्राम पंचायत बुधिया (वर्तमान मसानीवाला) द्वारा मूल आवंटन क्रमशः वर्ष 1963 एवं 1964 में किये गए थे। मुझ गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 ने इन भूखण्डों को वर्ष 1992 में अपंजीकृत विक्रय-पत्रों के माध्यम से क्रय किया था। उक्त अपंजीकृत बैयनामों को माननीय न्यायालय के आदेश की पालना में दिनांक 30.03.2010 को नियमानुसार शुल्क अदा कर कार्यालय कलक्टर मुद्रांक हनुमानगढ़ द्वारा पूर्ण मुद्रांकित किया गया था। श्रीमान उप पंजीयक, विजयनगर द्वारा अपंजीकृत बैयमाना को मुद्रांक पूर्ण की कार्यवाही के दौरान किये गये मौका निरीक्षण एवं तैयार मौका फर्द दिनांक 03.11.2009 में यह अंकित किया गया है कि प्रश्नगत भूमि मौके पर खाली है तथा इस पर किसी प्रकार निर्माण कार्य नहीं है। यह रिपोर्ट प्रार्थी के निगरानी में अंकित जोहड़ होने के झूठे दावों का खंडन करती है। प्रार्थी/निगरानीकर्ता पेमाराम का यह कथन पूर्णतः असत्य एवं मनगढंत है कि प्रश्नगत भूमि जोहड़ पायतन की भूमि रही है। यह भूमि राजस्व अभिलेखों में कभी भी जोहड़ पायतन के रूप में दर्ज नहीं रही है। सेटलमेंट एवं किलाबंदी के समय से ही यह भूमि आबादी भूमि के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है तथा ग्राम पंचायत को इसके आवंटन का पूर्ण अधिकार था।यह कि सम्पूर्ण क्षेत्र नहरी क्षेत्र है तथा जलदाय विभाग द्वारा गाँव में जल आपूर्ति हेतु पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराये गए हैं। गाँव के प्रत्येक घर में पानी की प्रचुर उपलब्धता है। पशुधन के लिए भी अन्य स्थानों पर पर्याप्त व्यवस्था है। अतः, प्रश्नगत भूमि की जोहड़ के रूप में कोई आवश्यकता नहीं है, एवं न ही उक्त भूमि का उपयोग कभी जोहड़ के रूप में पशुधन द्वारा किया गया है। निगरानीकर्ता ने निगरानी में इस तथ्य को छुपाया है कि जब गाँव के कुछ असामाजिक तत्वों. यथा हरकेनसिंह, नायबसिंह, नान्बरसिंह आदि ने अप्रार्थी संख्या 2 के क्रयशुदा भूखण्डों में आपराधिक अतिचार कर अवैध रूप से खुदाई का प्रयास किया था. तो अप्रार्थी संख्या 2 ने उनके विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा संख्या क्रमश 150/1999 दिनांक 05.05.1999 व मुकदमा संख्या 155/1999 दिनांक 08.05.1999 को दर्ज करवाया था। जिसमें मुकदमा संख्या 155/1999 में माननीय सक्षम न्यायालय ने दिनांक 14.11.2003 को आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 447, 323, 427, 504, 147/149 के अंतर्गत प्रसंज्ञान लिया था। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी एवं उसके सहयोगीगण स्वयं विधि विरुद्ध कार्यों में लिप्त रहे हैं। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 सद्भावपूर्ण क्रेता (बोना फाइड परचेजर) है, जिसने पूर्ण प्रतिफल अदा करके तथा उचित सावधानी बरतते हुए प्रश्नगत भूखण्डों को क्रय किया है। करीब 35 वर्ष पुराने आवंटनों को अब निरस्त करने से अप्रार्थी संख्या 2 को अपूरणीय क्षति होगी, जो कि न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध होगा।उक्त भूमि की जोहड़ के रूप में आवश्यकता है, पूर्णतः निराधार है, क्योंकि ग्राम 7 एलसी की आबादी [illegible] स्थित अन्य आहता संख्या 59, 110, 131 एवं 23, पर पूर्व में निर्मित पक्की पानी की डिग्गियों की आवश्यकता न होने के कारण उनका समतलीकरण कर दिया गया है। इतना ही नहीं, ग्राम [illegible] ने स्वयं इन भूमियों को ग्राम सेवा सहकारी समिति को गोदाम निर्माण हेतु [illegible] भवन हेतु आवंटित कर पट्टे जारी किये हैं। जब ग्राम पंचायत स्वयं आबादी भूमि के [illegible] स्त्रोतो की भूमि का अन्य प्रयोजनों हेतु आवंटन कर रही है तो केवल अप्रार्थी सख्या 2 के खरीददा भूखण्डों को जोहड बताकर निरस्त करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

की मांग करना दुर्भावनापूर्ण एवं भेदभावपूर्ण है। ग्राम पंचायत द्वारा मूल आवंटियों को भूखण्डों का आवंटन पूर्णतः विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाकर किया गया था और उसमें किसी भी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं थी। उक्त आवंटनों के विरुद्ध करीब 35 वर्षों तक किसी ने भी कोई आपत्ति नहीं की, जो यह दर्शाता है कि आवंटन सर्वमान्य एवं विधि सम्मत थे। उक्त निगरानी की कार्यवाही के दौरान विप्रार्थी ग्राम पंचायत मसानीवाला द्वारा मुखण्ड आवंटन व मिसल के दस्तावेज श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश नहीं कर यह जाहीर किया गया कि उक्त रिकॉर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है जबकि उक्त रिकॉर्ड उपलब्ध होने के बावजुद मात्र अप्रार्थी संख्या 2 को तंग व परेशान करने की नियत से जानबुझकर उक्त रिकॉर्ड न्यायालय में प्रेषित नहीं किया गया था। इसलिये उक्त प्रमाणित प्रतियाँ अप्रार्थी संख्या 2 ने श्रीमान न्यायालय में पेश की थी। समय के साथ विकास होने, नहरी पानी की उपलब्धता तथा घर–घर में जल कनेक्शन होने के कारण भूमि का स्वरूप एवं उपयोगिता बदल चुकी है। अप्रार्थी संख्या 2 के खरीदशुदा भुखण्डों की उपयोगिता पूर्व में कभी भी जल स्रोत के रूप में कोई सांकेतिक उपयोगिता नहीं रही थी, अतः, विकास की इस प्रक्रिया को उलटकर दशकों पुराने आवंटनों को निरस्त करना लोकहित में नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी में कोई सार नहीं है तथा यह केवल गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 पर दबाव बनाने एवं उसे उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने का एक प्रयास है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 01.10.1964 को दयाराम को प्लॉट संख्या 6 आवंटित किया गया था, जो दिनांक 01.01.1964 को सुभाषचन्द्र द्वारा खरीद किया गया। खरीद दिनांक 01.01.1964 के पश्चात प्लाट संख्या 6 के भाग हुए है, जिसके संबंध में कोई दस्तावेजात पत्रावली में उपलब्ध नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर की डबल बैंच ने अपने प्रकरण संख्या डीबी सिविल स्पेशल अपील नम्बर 204/2001 अनवान सुभाष चन्द्र बनाम स्टेट आदि में पारित निर्णय दिनांक 26.05.2016 में माननीय न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये है कि–

"Be that as it may, a perusal of the order Impugned passed by the revisional authority reveals that the original record of Gram Panchayat relating to the pattas issued was not produced and there was no documentary evidence brought on record showing that the land in question is shown to be the land of johad/diggi in the revenue record. It is true that the factum of plot no. 5-ka being part of existing diggi is not even disputed by the appellant. But then, the matter with regard to the plots no.5-kha and 6-ka being covered by the diggi/johad was required to be examined by the revisional authority on the basis of the revenue record. That apart, the revisional authority was also required to examine the record of the Panchayat so as to determine the genuineness and legality of the pattas issued in favour of the appellant. Further, merely because the sale deeds executed in favour of the appellant are not registered, he cannot be denied an opportunity to agitate against the cancellation of the pattas inasmuch as, if the pattas are maintained, he is not precluded from enforcing the whatever rights accrued to him by virtue of the sale deeds, though unregistered, executed in his favour by the patta holders.

In view of the discussion above, In the considered opinion of this court, the matter deserves to be remanded to the revisional authority for decision afresh after examination of the relevant official record and also the material placed on record by the appellant and the third respondent herein. It is not disputed by the parties before this court that presently, the land in question is being used for the purposes of diggi/johad and therefore, it would be appropriate to direct the parties to maintain the status quo in respect of the land in question till the disposal of the revision petition by the revisional authority afresh.

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

In view of the discussion above, in the considered opinion of this court, the matter deserves to be remanded to the revisional authority for decision afresh after examination of the relevant official record as also the material placed on record by the appellant and the third respondent herein. It is not disputed by the parties before this court that presently, the land in question is being used for the purposes of diggi/johad and therefore, it would be appropriate to direct the parties to maintain the status quo in respect of the land in question till the disposal of the revision petition by the revisional authority afresh. Accordingly, the special appeal is allowed. The order impugned dated 18.1.01 passed by the learned Single Judge is set aside. The writ petition is partly allowed. The orders dated 17.5.99 and 31.8.2000 passed by the Additional Collector, Suratgarh impugned in the writ petition, are set aside. The matter is remanded to the Additional Collector, Suratgarh for decision afresh in accordance with law, after due consideration of the official record as also the material placed on record by the appellant and the third respondent herein. The parties shall appear before the Additional Collector, Suratgarh on 18.7.16 and shall be at liberty to produce additional evidence, if any. The Adilitional Collector, Suratgarh is directed to decide the revision petition afresh expeditiously, preferably within a period of six months. The parties shall maintain status quo in respect of the land in question till the disposal of the revision petition by the revisional authority. No order as to costs.

हस्तगत प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान, जोधपुर की माननीय डबल बैंच के निर्णय दिनांक 26.05.2016 की पालना में रिमाण्ड होकर जैरकार है। उक्त निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना में जिसमे पट्टा संख्या 5–ख एवं 6–क के संबंध में पत्रावली में उपलब्ध –

<u>राजस्व रिकार्ड</u>– यथा तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर द्वारा पूर्ववर्ती न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, अनूपगढ़ को भेजी गई रिपोर्ट रीडर/2024/692 दिनांक 12.09.2024 अनुसार चक 7 एलसी के भूखण्ड़ संख्या 5–क, 5–ख, 6–क चक 7 एलसी की आबादी भूमि के पत्थर न. 146/349(49) में होकर राजस्व रिकार्ड गें गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत ग्राम 6 एलसी पटवार हल्का बुघिया की संवत 2047 की जमाबंदी अनुसार भी खसरा न. 146/349 का उक्त रकबा कृषि आयोग्य भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। उक्त दस्तावेजात से साबित है कि उक्त भूखण्ड़ का अहाता राजस्व रिकार्ड में जोहड दर्ज नहीं था।

<u>ग्राम पचांयत के अभिलेख</u>–यथा आबादी भूमि चक 7 एलसी के मुरबा न. 20/2 व 60/202 बारानी के रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि के अवलोकन से दिनांक 25.08.1963 को मखनलाल को आवंटित प्लॉट संख्या 5–क एवं दिनांक 25.08.1963 को चुनीदेवी को आवंटित प्लॉट 5–ख तथा दिनांक 01.10.1964 को दयाराम को आवंटित प्लॉट संख्या 6 का पट्टा आबादी भूमि का ही जारी किया गया है, जो पत्रावली में उपलब्ध ग्राम पंचायत के मूल नक्शा से जाहिर होता है। इस प्रकार उक्त पट्टे पंचायती राज अधिनियम के तहत बने प्रावधानों के अनुरूप ही जारी किया जाना जाहिर होता है।

–:: विवेचन ::–

प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा जोहड की भूमि पर पट्टे काटे गये है अथवा नही? जो राजस्व रिकार्ड से ही [illegible] है। माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जोधपुर द्वारा भी राजस्व रिकार्ड एवं ग्राम पंचायत के अभिलेख का अवलोकन कर निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया गया है। उक्त विचारणीय बिन्दु के [illegible] मे पत्रावली में उपलब्ध पत्रावली मे उपलब्ध यथा तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर द्वारा पूर्ववर्ती न्यायालय जिला कलक्टर महोदय, अनूपगढ़ को भेजी गई रिपोर्ट रीडर/2024/692 दिनांक 12.09.2024 अनुसार चक 7 एलसी के भूखण्ड़ संख्या 5–क, 5–ख, 6–क चक 7 एलसी की आबादी भूमि के पत्थर न. 146/349(49) में

Signature Not Verified
Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:33 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

Scanned with OKEN Scanner

होकर राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत ग्राम 6 एलसी पटवार हल्का बुधिया की संवत 2047 की जमाबंदी अनुसार भी खसरा न. 146/349 का उक्त रकबा कृषि आयोग्य भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज था। उक्त दस्तावेजात से साबित है कि उक्त भूखण्ड़ का अहाता राजस्व रिकार्ड में जोहड दर्ज नहीं था। तहसीलदार (राजस्व श्रीविजयनगर की रिपोर्ट दिनांक 393 दिनांक 10.04.2019, उप तहसीलदार जैतसर द्वारा सरपंच ग्राम पचांयत 3 एसएडी को भेजी गई रिपोर्ट 118 दिनांक 12.05.20220, तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा इस कार्यालय को भेजी गई रिपोर्ट क्रमांक 422 दिनांक 30.07.2024 में तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है जोहड की भूमि ही विवादित प्लाट वाली भूमि है या नही।

पत्रावली में उपलब्ध मूल नक्शा आबादी भूमि अनुसार भी प्लॉट संख्या 5–क, 6 आबादी में स्थित है। ग्राम पंचायत आबादी भूमि चक 7 एलसी के मुरब्बा न. 20/25 व मुरबा न. 60/25 का आबादी भूमि रजिस्टर की प्रमाणित प्रति के अवलोकन से पाया कि दिनांक 25.08.1963 को मखनलाल प्लॉट संख्या 5–क तथा चुनीदेवी को आवंटित प्लॉट 5–ख आवंटित किया गया एवं दिनांक 01.10.1964 को दयाराम को प्लॉट संख्या 6 आवंटित किया गया था। उक्त तीनों प्लॉट नियमानुसार राशि जमा करवाकर ही जारी किये गये है। उक्त तीनों पट्टो में से सुभाषचन्द्र द्वारा दिनांक 10.02.1992 को प्लॉट संख्या 5–ख एवं दिनांक 01.01.1964 को प्लॉट संख्या 6 खरीद किया गया। इस दौरान ग्राम पंचायत द्वारा कोई आपत्ति/शिकायत/प्रार्थना पत्र तथा अन्य कोई वाद सक्षम न्यायालय में पेश किया जाना जाहिर नहीं होता है। इसके अतिरिक्त गैरनिगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा दिनांक 10.02.1992 व दिनांक 13.05.1992 को खरीद किये गये प्लॉट के इकरारनामों को दिनांक 30.03.2010 नियमानुसार राशि राजकोष में जमा करवाकर मुद्रांकित करवाये गये है।

प्लॉट संख्या 5–क के संबंध में उभय पक्ष द्वारा ना तो माननीय उच्च न्यायालय में कोई आपत्ति जाहिर की गई है तथा ना ही इस न्यायालय में उभय पक्ष द्वारा प्लॉट संख्या 5–क के संबंध में कोई जवाब/लिखित बहस में तथ्य प्रस्तुत नहीं किये गये है।

–:: आदेश ::–

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। ग्राम पंचायत मसानीवाला द्वारा दिनांक 25.08.1963 को मखनलाल को आवंटित प्लॉट संख्या 5–क, चुनीदेवी को आवंटित प्लॉट 5 –ख एवं दिनांक 01.10.1964 को दयाराम को आवंटित प्लॉट संख्या 6 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दीनानाथ बब्बल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Deenanath Babbal
Date: 2026.05.14 16:59:33 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner